रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2041] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 1, 2010/आश्विन 9, 1932

No. 2041] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 1, 2010/ASVINA 9, 1932

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2010

का.आ. 2401(अ).—जबकि वस्तुओं का भौगोलिक सूचक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 की धारा 22 की उप-धारा (2) में कतिपय वस्तुओं या वस्तुओं की श्रेणी या श्रेणियों के लिए यथा-अधिसूचित अतिरिक्त संरक्षण की व्यवस्था है;

और जबकि, केंद्र सरकार संतुष्ट है कि वस्तुओं का भौगोलिक सूचक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 की धारा 22 की उप-धारा (3) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त संरक्षण लागू करने के लिए एक अधिसूचना अनिवार्य है;

अत: अब, वस्तुओं का भौगोलिक सूचक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 की धारा 22 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई अनुसूची में निर्धारित वस्तुओं की सूची के लिए उक्त अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (3) के तहत अतिरिक्त संरक्षण लागू किया जाता है ।

अनुसूची

क्रम संख्या	वस्तुओं की सूची
1.	शराब और स्प्रिट

[फा. सं. 9(22)/2006-आईपीआर-II]

वी. भास्कर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2010

S.O. 2401(E).—Whereas sub-section (2) of Section 22 of Geographical Indication of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 provides for additional protection for certain goods or class or classes of goods as notified;

And whereas, the Central Government is satisfied that a notification extending additional protection as provided in sub-section (3) of Section 22 of the Geographical Indication of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 is necessary;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 22 of the Geographical Indication of Goods (Registration and Protection) Act, 1999, the list of the goods specified in the Schedule given below are extended additional protection under sub-section (3) of Section 22 of the said Act.

SCHEDULE

Serial No.	List of the goods
1.	Wines and Spirits

[F. No. 9(22)/2006-IPR-II]

V. BHASKAR, Jt. Secy.

3840 GI/2010

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.